

SECTION-X,X,X

SECTION-Y,Y

FRONT ELEVATION

LEFT SIDE ELEVATION

[illegible]

NAME OF OWNER
RAJESHVAR NARUN AGRAWAL
MADHURI AGRAWAL
SUNITA AGRAWAL

SIGNATURE OF OWNER _____

Spent
at night
back again

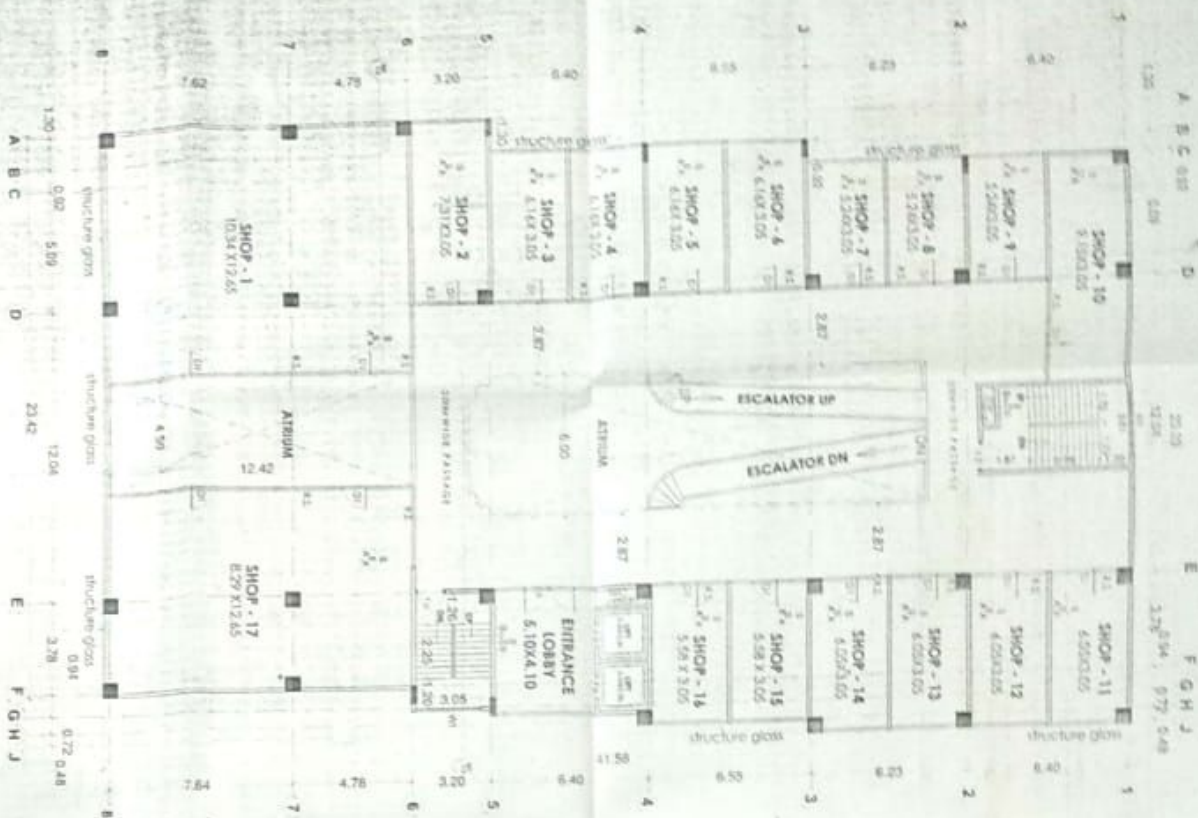
SIGNATURE OF BENEFICIARY

APPROVED FEB 1971

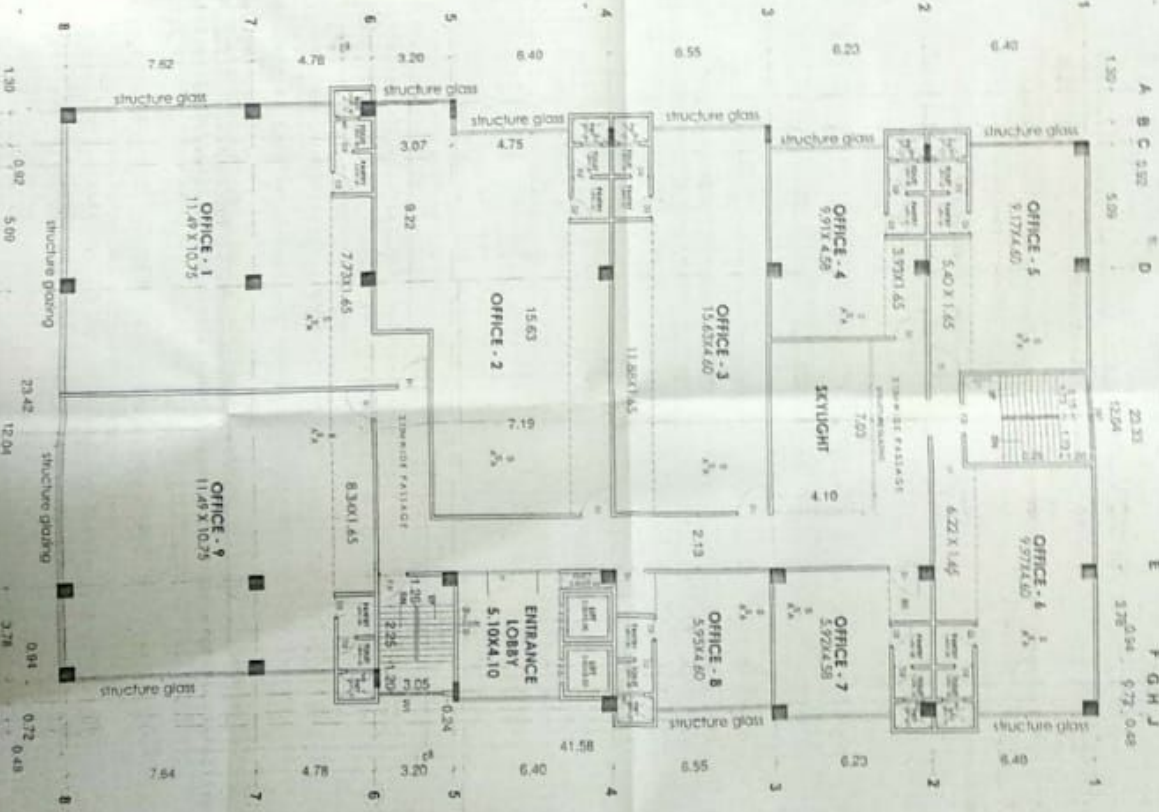
1. *Callitriche* *sp.*

PARTIAL REPRODUCTION OF THE
 ORIGINAL BY THE NATIONAL ARCHIVES
 REFERENCE SERVICE
 NATIONAL ARCHIVES
 COLLEGE PARK, MARYLAND 20740
 DATE REPRODUCED: 11/11/2001
 BY THE NATIONAL ARCHIVES
 REFERENCE SERVICE
 NATIONAL ARCHIVES
 COLLEGE PARK, MARYLAND 20740

SECOND FLOOR PLAN



3RD, 4TH & 5TH FLOOR PLAN



NO.	REVISION	DATE	BY	CHKD.
1	ISSUED FOR PERMIT	10/10/2018	ARCHITECT	ENGINEER
2	ISSUED FOR CONSTRUCTION	10/10/2018	ARCHITECT	ENGINEER
3	ISSUED FOR OCCUPANCY	10/10/2018	ARCHITECT	ENGINEER

APPROVED BY: *[Signature]*
 SIGNATURE OF OWNER: *[Signature]*
 SIGNATURE OF ENGINEER: *[Signature]*
 NAME OF OWNER: *[Name]*
 ADDRESS: *[Address]*
 CITY: *[City]*
 STATE: *[State]*
 ZIP: *[ZIP]*
 PROJECT NO.: *[Project No.]*
 SHEET NO.: *[Sheet No.]*
 TOTAL SHEETS: *[Total Sheets]*
 DATE: *[Date]*
 BY: *[Name]*
 CHECKED BY: *[Name]*
 APPROVED BY: *[Name]*
 SIGNATURE OF OWNER: *[Signature]*
 SIGNATURE OF ENGINEER: *[Signature]*

APPROVED BY: *[Signature]*
 SIGNATURE OF OWNER: *[Signature]*
 SIGNATURE OF ENGINEER: *[Signature]*
 NAME OF OWNER: *[Name]*
 ADDRESS: *[Address]*
 CITY: *[City]*
 STATE: *[State]*
 ZIP: *[ZIP]*
 PROJECT NO.: *[Project No.]*
 SHEET NO.: *[Sheet No.]*
 TOTAL SHEETS: *[Total Sheets]*
 DATE: *[Date]*
 BY: *[Name]*
 CHECKED BY: *[Name]*
 APPROVED BY: *[Name]*
 SIGNATURE OF OWNER: *[Signature]*
 SIGNATURE OF ENGINEER: *[Signature]*



सेवा में,

1. श्री राजेश्वर नारायण अग्रवाल
पिता—स्व0 शिव नारायण अग्रवाल
2. श्रीमती माधुरी अग्रवाल
पति— श्री राजेश्वर नारायण अग्रवाल
3. श्रीमति सुनिता अग्रवाल
पति— श्री राजीव अग्रवाल
पता—सलिमपुर, डुमरा
पटना, बिहार।

विषय:— प्लान केस संख्या P/Salempur-dumra/PRN/LB+UB+G+5/152/2016 की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

आपके आवेदन P/Salempur-dumra/PRN/B+LG+UG+5/152/2016 दिनांक 24.05.2016 के संदर्भ में श्री राजेश्वर नारायण अग्रवाल पिता—स्व0 शिव नारायण अग्रवाल 2. श्रीमती माधुरी अग्रवाल पति— श्री राजेश्वर नारायण अग्रवाल 3. श्रीमति सुनिता अग्रवाल पति— श्री राजीव अग्रवाल पता—सलिमपुर, डुमरा बिहार, पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित.....विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के.....सर्वे प्लॉट सं0—1050,1051,1052,1049,1047,1046, एवं 1045, थाना नं0—10, खाता संख्या—160,190,270,177,219,225 एवं 229 तौजी संख्या—5296/15201, मौजा—सलीमपुर—डुमरा, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया—1846.82 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 30.68 मीटर से 33.04 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 176.56 वर्ग मी0 चौड़ी भूमि पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपलब्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ड) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

(ढ़) Environmental Protection Act के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ण) भवन उपविधि 2014 के कंडिका 32 के अनुसार ग्रीन एरिया का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

01/11/18

उप निदेशक

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।

01-11-18